न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर भोपाल संभाग भोपाल

प्रकरण कमांक –

हेमराज आ0 स्व0 श्री मुलचन्द
आयु – लगभग 70 वर्ष
निवासी व कृषक – ग्राम मुंगालियाछाप , तह0 हुजूर , जिला भोपाल रीविजनकर्ता

विरूद्व

01. सपना गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल
द्वारा अध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार आ0 श्री विष्णु कुमार
निवासी – 16/2 व्ही. आई. पी. रोड कोहेफिजा भोपाल
02. प्रेमनारायण आ0 स्व0 श्री कनीराम , द्वारा मुख्तारआम
श्रीमति मालतीबाई पत्नि श्री प्रेमनारायण
03. श्रीमति रामश्री बाई पत्नि स्व0 श्री कनीराम
04. रामनारायण आ0 कनीराम
कं 02 से 04 निवासीगण गांधीनगर भोपाल
05. लक्ष्मीनारायण आ0 मांगीलाल मृत
द्वारा वारिसान 01 श्रीमति प्रेमबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण , वयस्क
02. रूकमणी , 03 मधु , दोनो वयस्क
04 कामनी 05 दीनदयाल 06 अखलेष कमांक , तीनो अल्पवयस्क
02 से 06 तक समस्त पुत्र एवं पुत्रीगण
स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण
06. महेश आयु वयस्क
07. कैलाश आ0 स्व0 मांगीलाल मृत
द्वारा उत्तराधिकारी – श्रीमति सुमन बाई आयु वयस्क
08. श्रीमति मिश्री बाई आयु – वयस्क , पत्नी स्व0 श्री मिश्रीलाल
04 से 08 तक समस्त निवासी – मुंगालिया छाप ,
तह0 हुजूर भोपाल प्रतिप्रार्थीगण

राजस्व रीविजन अर्न्तगत धारा – 50 म0 प्र0 भूराजस्व संहिता 1959

रीविजनकर्ता द्वारा उक्त रीविजन अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 154 /निगरानी/08 – 09 में दिनांक 06. 01. 14. को पारित किये गये आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ठ होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न ठोस तथ्यो एवं सुदृड वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही हैं :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1640–पीबीआर/14 **जिला** भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–1–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 6–1–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चित्रा गृह निर्माण सहकारी समिति को पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा चित्रा गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–1–2014 को आदेश पारित कर इस आशय का निष्कर्ष निकालते हुए कि तहसील न्यायालय में आवेदक द्वारा ही बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कया गया है, और उसके द्वारा चित्रा गृह निर्माण सहकारी समिति को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भी आवेदक द्वारा ही अपील प्रस्तुत की गई है, और उनके समक्ष भी चित्रा गृह निर्माण सहकारी समिति को पक्षकार नहीं बनाया गया है । इसके अतिरिक्त व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र चित्रा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं कर आवेदक द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, जो कि विधिसंगत नहीं है । इससे स्पष्ट है कि	

आवेदक द्वारा प्रकरण में विलम्ब किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष